

**नेफेड द्वारा भारत ब्राण्ड उत्पादों (चावल, आटा और दाल) की बिक्री के लिए
एकीकृत एसओपी (दिनांक 11.10.2024)**

ए. पृष्ठभूमि

1. यह मिशन भारत ब्राण्ड उत्पादों के संदर्भ में है, जबकि नेफेड को आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य को कम करने के मुख्य उद्देश्य के साथ उपभोक्ताओं को भारत आटा, भारत चावल और भारत दाल के रूपांतरण एवं वितरण के लिए भारत सरकार द्वारा एक केंद्रीय एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है।
2. यह मानक परिचालन प्रक्रिया नेफेड द्वारा समय-समय पर भारत सरकार, और विशेष तौर पर डीएफपीडी और डीओसीए द्वारा जारी संचार की शर्तों में तैयार की गई है:
 - क) भारत आटा और भारत चावल के लिए पत्र संख्या 1-1/2024-पीवाई. IV/पीटी. (ई386995) दिनांक 27.06.2024
 - ख) ओ.एम. संख्या 1-1/2024-पीवाई. IV/पीटी. (ई-386995) दिनांक 25.09.2024 - भारत आटा और भारत चावल के लिए बीओपी में संशोधित प्रावधान।
 - ग) चना दाल और चना साबुत के लिए डीओसीए का.ज्ञा. संख्या पीएस-03001/1/2023-पीएमसी पीटी-1 (ई-32047) दिनांक 26-00-2024
 - घ) भारत मसूर दाल के लिए डीओसीए का.ज्ञा. एफ.सं. पीएस-03001/1/2024-पीएमसी (ई-33949) दिनांक 20.02.2024
 - ङ) भारत मूंग दाल के लिए डीओसीए का.ज्ञा. एफ.सं. पीएस-03001/3/2023-पीएमसी (ई-32611) दिनांक 29.11.2023
3. यह मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) नेफेड द्वारा जारी पूर्व एसओपी को दिनांक 14-08-2023 (भारत दाल के लिए), 19-12-2023 (भारत आटा के लिए) दिनांक 13.01.2024 (भारत दाल-मूंग धुली और साबुत के लिए) और 08-04-2024 (भारत चावल के लिए) या उनके संशोधित संस्करणों को प्रतिस्थापित करेगी, जैसा कि समय-समय पर जारी किया गया हो।

बी. बोली प्रक्रिया

1. मिलर्स/प्रोसेसरों का पैनलीकरण अब ईओआई के माध्यम से नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, मिलर्स को बोली/ऑक्शन प्रक्रिया के आधार पर अनुबंध आवंटित किया जाएगा, जहां मिलिंग और प्रसंस्करण सेवाओं के लिए सबसे कम उद्धृत दर वाले बोलीदाता को एल 1 के रूप में चुना जाएगा, उसके बाद एल 2, और इसी तरह आगे भी।
2. निम्नलिखित ईओआई (और संबंधित शुद्धिपत्र) और समय-समय पर जारी सरकारी निर्देशों में बताई गई पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले मिलर्स को नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। नीलामी के लिए एसओपी पृथक तौर पर जारी की जाएगी।
 - ए) नेफेड/एचओ/आरबीडी/भारत आटा/चरण-II/2023-24/01 दिनांक 15.11.2023
 - बी) नेफेड/एचओ/आईएस/ईओआई-मिलर पैनलीकरण/2023-24 दिनांक 04.09.2023
 - सी) एचओ/आरबीडी/127/भारत चावल/2023-24/01 दिनांक 12.02.2024
3. मिल मालिकों की पात्रता तय की जाएगी और अनुबंध देने को मुख्यालय (एचओ) समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

सी. कच्चा माल जारी करना/अनुबंध प्रदान करना

1. गेहूं, चावल और दाल की नीलामी 100 मीट्रिक टन के गुणकों में या एफसीआई/कच्चे माल (आरएम) गोदाम में उपलब्धता के अनुसार की जाएगी।
2. नीलामी डीएफपीडी/डीओसीए द्वारा दिए गए लक्ष्यों, मिलर/प्रोसेसर के स्थानों/क्षमताओं, लंबित आपूर्ति आदेशों और एसओपी के अनुपालन के आधार पर पूर्व आवंटन (यदि कोई हो) से उनके प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।
3. नेफेड किसी मिलर/प्रोसेसर के अनुबंध को प्रदर्शन, छोड़ने या उनके खिलाफ शुरू की गई किसी अन्य कार्रवाई के आधार पर रद्द कर सकता है।
4. दाल, गेहूं और चावल के अनुबंध को व्यक्तिगत मिलरों को 7500 मीट्रिक टन तक सीमित किया जा सकता है, जो उनके संतोषजनक अनुपालन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।
5. किसी मिलर/प्रोसेसर के अनुबंध को ट्रेक एंड ट्रेस में दिए गए डेटा, प्रदर्शन, छोड़ने या उनके खिलाफ शुरू की गई किसी अन्य कार्रवाई के आधार पर रद्द किया जा सकता है।
6. एक सामान्य नियम के अनुसार, किसी एक मिल मालिक/प्रोसेर (प्रसंस्करणकर्ता) को दी जाने वाली अधिकतम मात्रा उनकी मिलिंग/प्रसंस्करण की क्षमता के 26 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, कच्चे माल की मात्रा का आवंटन/नीलामी डीएफपीडी/डीओसीए द्वारा दिए गए लक्ष्यों, मिल मालिकों/प्रसंस्करणकर्ताओं (प्रोसेर्स) के स्थानों/क्षमताओं, पिछले आवंटनों से उनके प्रदर्शन (यदि कोई हो), ट्रेक और ट्रेस सॉफ्टवेयर पर दर्ज किए गए लेन-देन के साथ-साथ पिछले आवंटनों से बिक्री के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

डी. भुगतान

1. एफसीआई/आरएम गोदामों द्वारा गेहूं, कच्ची दाल और चावल को भारत चावल, भारत दाल (चना दाल, चना साबुत, मूंग धुली, मूंग साबुत और मसूर दाल) और भारत आटा के लिए अग्रिम भुगतान की मानक प्रक्रिया के अनुसार जारी किया जाएगा।
2. मिल मालिकों और खुदरा विक्रेताओं के बीच कोई लेन-देन नहीं होना चाहिए।
3. चावल के लिए, 23.60/- रुपये प्रति किलोग्राम चावल (1.60 रुपये प्रति किलोग्राम नेफेड सेवा शुल्क सहित) (मंडी शुल्क अतिरिक्त (यदि कोई हो)) के साथ 2.25 रुपये प्रति किलोग्राम प्रतिभूति जमा राशि संबंधित नेफेड शाखा खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी/ड्राफ्ट के माध्यम से अनुबंध आवंटन के 48 घंटे के भीतर मिलर/प्रोसेर द्वारा जमा कराई जानी चाहिए। नियत समय के भीतर भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में अनुबंध का आवंटन रद्द किया जा सकता है और अन्य पात्र मिलरों/प्रोसेसरों को पुनः आवंटन किया जा सकता है। मिलर/प्रोसेसर से प्राप्त धनराशि में से, 22.00 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की दर से धनराशि नेफेड शाखा द्वारा धनराशि प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर चावल जारी करने के लिए संबंधित एफसीआई कार्यालय/शाखा में जमा कराई जाएगी।
4. आटे के लिए, 22.25 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं के बराबर धनराशि (नेफेड सेवा शुल्क के रूप में 1.60 रुपये/किग्रा सहित) (मंडी शुल्क अतिरिक्त (यदि कोई हो)) 2 रुपये/किग्रा के एसडी के साथ अनुबंध के आवंटन के 48 घंटे के भीतर मिलर द्वारा आरटीजीएस/एनईएफटी/ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित नेफेड शाखा खाते में जमा किया जाना चाहिए। नियत समय के भीतर भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में, अनुबंध का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा और अन्य पात्र मिलरों को पुनः आवंटन किया जाएगा। मिलर से प्राप्त

धनराशि में से, 20.65 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं की दर से धनराशि नेफेड शाखा द्वारा संबंधित एफसीआई कार्यालय/आरएम शाखा में धनराशि प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर गेहूं/चावल/दाल जारी करने के लिए जमा कर दी जाएगी।

5. चना दाल और चना साबुत के लिए, 41.40 रुपये प्रति किलोग्राम कच्चे माल के बराबर धनराशि (नेफेड सेवा शुल्क के रूप में 2.00 रुपये/किलोग्राम सहित) (मंडी शुल्क अतिरिक्त (यदि कोई हो)) एसडी 4 रुपये/किलोग्राम के साथ मिलर द्वारा अनुबंध के आवंटन के 48 घंटे के भीतर संबंधित नेफेड शाखा खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी/ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए। नियत समय के भीतर भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में, अनुबंध का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और अन्य पात्र मिलरों को पुनः आवंटन किया जाएगा। मिलर से प्राप्त धनराशि में से, 39.40 रुपये प्रति किलोग्राम की धनराशि नेफेड शाखा द्वारा धनराशि प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर कच्चा माल जारी करने के लिए संबंधित कच्चा माल शाखा में जमा की जाएगी।
6. मूंग धुली और मूंग साबुत के लिए, 64.10 रुपये प्रति किलोग्राम कच्चे माल के बराबर धनराशि (नेफेड सेवा शुल्क के रूप में 1.55 रुपये/किग्रा सहित) (मंडी शुल्क अतिरिक्त (यदि कोई हो)) एसडी के साथ 4 रुपये/किलोग्राम मिलर द्वारा अनुबंध के आवंटन के 48 घंटों के भीतर आरटीजीएस/एनईएफटी/ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित नेफेड शाखा खाते में जमा किया जाना चाहिए। नियत समय के भीतर भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में, अनुबंध का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और अन्य पात्र मिलरों को पुनः आवंटन किया जाएगा। मिलर से प्राप्त धनराशि से, 62.55 रुपये/किलोग्राम की दर से धनराशि को नेफेड शाखा द्वारा धनराशि प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर कच्चा माल जारी करने के लिए संबंधित कच्चा माल शाखा में जमा किया जाएगा।
7. मसूर दाल के लिए, 56.10 रुपये प्रति किलोग्राम कच्चे माल (नेफेड सेवा शुल्क के रूप में 1.10 रुपये/किलोग्राम सहित) (मंडी शुल्क अतिरिक्त (यदि कोई हो)) एवं एसडी 4 रुपये/किलोग्राम के बराबर धनराशि अनुबंध के आवंटन के 48 घंटे के भीतर मिलर द्वारा आरटीजीएस/एनईएफटी/ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित नेफेड शाखा खाते में जमा किया जाना चाहिए। नियत समय के भीतर भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में, अनुबंध का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और अन्य पात्र मिलरों को पुनः आवंटित कर दिया जाएगा। मिलर से प्राप्त धनराशि से, 55.00 रुपये/किलोग्राम की दर से धनराशि को नेफेड शाखा द्वारा धनराशि प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर कच्चा माल जारी करने के लिए संबंधित कच्चा माल शाखा में जमा किया जाएगा।
8. नेफेड शाखा निर्दिष्ट एफसीआई/कच्चे माल गोदाम से चावल/गेहूं/दाल उठाने के लिए प्राधिकरण पत्र के साथ मिलर/प्रोसेसर के पक्ष में जमा होने से 48 घंटे के भीतर एक रिलीज ऑर्डर जारी करेगी। मिलर/प्रोसेसर चावल/गेहूं/दाल को एफसीआई/कच्चा माल गोदाम से 'जैसा है, जहां है' के आधार पर उठाएंगे, जो एफसीआई/कच्चा माल उपलब्ध कराने वाली संस्था द्वारा नेफेड को दिए गए रिलीज ऑर्डर में निर्दिष्ट समय के भीतर होगा।
9. वित्त एवं लेखा प्रभाग वित्तीय एसओपी को पृथक तौर पर सूचित करेगा।
10. बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं और ई-कॉमर्स के लिए मौजूदा क्रेडिट सीमा जारी रहेगी। किसी अन्य संगठित खुदरा श्रृंखलाओं के लिए क्रेडिट सीमा को मुख्यालय की पूर्व स्वीकृति के अधीन बढ़ाया जा सकता है।
11. एसडी को सभी अनुपालन औपचारिकताओं, दस्तावेज़ीकरण और लेन-देन के अपलोडिंग और ट्रैक-एंड-ट्रेस सॉफ्टवेयर पर उनके समाधान के बाद मिलरों/प्रोसेसरों/चैनल भागीदारों को वापस कर दिया जाएगा।

ई. पैकिंग निर्देश

1. भारत ब्राण्ड उत्पादों की ब्रांडिंग बैग के दोनों ओर देवनागरी लिपि और अंग्रेजी में "भारत आटा" लिखकर की जाएगी। "भारत चावल" के मामले में ब्रांडिंग बैग के दोनों ओर देवनागरी लिपि में "भारत चावल" और अंग्रेजी में "भारत चावल" लिखकर की जाएगी, साथ ही आवश्यकतानुसार स्थानीय भाषा में अनुवाद भी किया जाएगा। चना दाल, चना साबुत और मसूर दाल के पैक को "भारत दाल" और "भारत चना दाल/भारत चना साबुत भारत मसूर दाल/भारत मूंग धुली/भारत मूंग साबुत" के रूप में ब्रांडिंग किया जाएगा।
2. पैकेट के लिए कलाकृति (आर्टवर्क) नेफेड मुख्यालय द्वारा साझा की जाएगी।
3. कलाकृति (आर्टवर्क) में दिए गए सभी निर्देश पैक/बैग (2 रंगों) पर स्पष्ट रूप से मुद्रित होने चाहिए। डीएफपीडी/डीओसीए द्वारा जारी एसओपी के अनुसार पैकेजिंग में स्थानीय भाषा के मुद्रण के संबंध में निर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए।
4. चावल और आटे के लिए, पैक का आकार न्यूनतम मानक के रूप में बीओपीपी/पीपी बैगों में 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम हो सकता है। पैकेजिंग लेजाने के लिए हैंडल करने योग्य होनी चाहिए। अतिरिक्त बेहतर गुणवत्ता वाली पैकेजिंग शामिल की जा सकती है।
5. आटे के लिए, न्यूनतम 45 दिनों की शेल्फ लाइफ वाली नई बेहतर पैकेजिंग की जाएगी।
6. सभी पैकेटों पर मोटे अक्षरों में अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) अंकित होना चाहिए:
ए) भारत चावल के लिए 34 रुपये/किग्रा (सभी शामिल)।
बी) भारत आटा के लिए 30 रुपये/किग्रा (सभी शामिल)।
सी) भारत चना दाल के लिए 70 रुपये/किग्रा (सभी शामिल)।
डी) भारत चना साबुत के लिए 58 रुपये/किग्रा (सभी शामिल)।
ई) भारत मसूर दाल के लिए 89 रुपये/किग्रा (सभी शामिल)।
एफ) भारत मूंग दाल के लिए 107 रुपये/किग्रा (सभी शामिल)।
जी) भारत मूंग साबुत के लिए 93/किग्रा (सभी शामिल)।
7. कलाकृति (आर्टवर्क) में दिए गए सभी निर्देश पैक/बैग पर स्पष्ट रूप से मुद्रित होने चाहिए, (कम से कम 2 रंग)। भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार पैकेजिंग में स्थानीय भाषा के मुद्रण के बारे में निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
8. सभी शाखाओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि "भारत चावल और "भारत आटा" मुख्य रूप से उपरोक्त (5 किग्रा और 10 किग्रा) पैकेज आकार में बेचा जाना है।
9. भारत दाल (चना दाल, चना साबुत, मूंग धुली, मूंग साबुत और मसूर दाल) एक पैक आकार अर्थात 1 किलोग्राम के खुदरा पैक में प्रदान की जाएगी। पैकिंग सामग्री के विनिर्देश निम्नानुसार हैं:

1 किलो का पैक: 1 किग्रा पॉली पैक के 25 पैकेट को 25 किग्रा एचडीपीई बैग (मास्टर पैकिंग) में पैक किया जाएगा, जिसे फिर सिला जाएगा। नेफेड का मोनोग्राम और भारत चना दाल/चना साबुत/मसूर दाल/मूंग धुली एवं मूंग साबुत को पता, पैकिंग माह आदि के साथ एचडीपीई बैग पर मुद्रित किया जाएगा। बाहरी 25 किग्रा एचडीपीई बैग भारतीय मानक बीआईएस-आईएस 14887:2006 से संबंधित विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।

टिप्पणी: सेना एवं सीएपीएफ के लिए, उनके पैकेजिंग विनिर्देश का पालन किया जाएगा।

ई. सुपर्दगी एवं विपणन

1. डीओसीए एवं डीएफपीडी/एफएसएसआई मानदंडों के एसओपी के अनुसार, प्रसंस्करण और पैकेजिंग के बाद मिलर/प्रोसेसर निम्नलिखित की आपूर्ति करेंगे:

- ए) भारत चावल (ओटीआर-80%),
- बी) भारत आटा (ओटीआर-100%),
- सी) भारत दाल (चना दाल) (ओटीआर-75.35%),
- डी) भारत दाल (चना साबुत) (ओटीआर-91.50%),
- ई) भारत दाल (मसूर दाल) (ओटीआर-82.56%),
- एफ) भारत दाल (मूंग धुली) (ओटीआर-75.31%)
- जी) भारत दाल (मूंग साबुत) (ओटीआर-93.70%)

2. शाखा किसी भी आपूर्ति के लिए अग्रिम भुगतान सुनिश्चित करेगी और कोई क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जाएगी। संगठित खुदरा शृंखलाओं को क्रेडिट सीमा पर मुख्यालय के अनुमोदन के अनुसार विचार किया जा सकता है।
3. खुदरा शृंखलाओं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और मुख्यालय द्वारा नियुक्त निर्दिष्ट वैन एजेंसियों या वितरण भागीदारों को बिक्री दरें, मुख्यालय में वार्ता समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार होंगी।

- ए) यदि चावल/आटा/चना दाल/चना साबुत/मूंग धुली/मूंग साबुत/मसूर दाल मिलर्स/प्रोसेसरों द्वारा नेफेड बाजारों/नेफेड गोदामों/मोबाइल वैन/अन्य खुदरा स्टोरों को चावल/आटा के छोटे पैक में आपूर्ति की जाती है, जिस पर जीएसटी लागू होता है, तो वितरित मूल्य इस प्रकार होगा:

जिंस	(लागू करें सहित प्रति किग्रा रुपये में)
भारत चावल	31
भारत आटा	27.75
भारत चना दाल	62
भारत चना साबुत	51
भारत मसूर दाल	81
भारत मूंग धुली	99
भारत मूंग साबुत	85

4. नेफेड शाखाएं ग्राहकों/उपभोक्ताओं को सीधे दिए गए पैक आकार में भारत ब्राण्ड उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए वितरण वैन के साथ-साथ अपने स्वयं के अस्थायी बिक्री बिंदु भी स्थापित कर सकती हैं।
5. शाखा को स्थानीय समाचार पत्र में साप्ताहिक आधार पर न्यूनतम 3x4 इंच के आकार का कम से कम एक विज्ञापन देना चाहिए जिसमें बिक्री बिंदुओं का स्थान (मिलर/प्रोसेसर के बिक्री और वितरण बिंदुओं सहित) का उल्लेख किया जाना चाहिए और साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से जनता में बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करनी चाहिए।
6. शाखाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत ब्राण्ड उत्पादों की बिक्री और वितरण के लिए उपयोग की जाने वाली सभी मोबाइल वैन में स्थान ट्रेकिंग डिवाइस होना चाहिए। शाखाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वैन संचालन लाभप्रदता पर, अनुमत मार्जिन के भीतर चलाया जाए और वैन सेवा प्रदाता को प्रतिस्पर्धी बोली आदि के माध्यम से पारदर्शी रूप से हायर किया जाए।

जी. अनुपालन

1. नेफेड द्वारा तैनात ट्रेक और ट्रेस सॉफ्टवेयर पर निम्नलिखित लेनदेन कैप्चर किए जाने चाहिए और मिलर्स और खुदरा बिंदुओं के लिए सुलभ होने चाहिए:
 - ए) मिलर्स का पंजीकरण, जो नेफेड द्वारा सूचीबद्ध है।
 - बी) एफसीआई/नेफेड/आरएम गोदाम से सभी स्टॉक प्राप्तियों की मिलर द्वारा प्रविष्टि, जिसमें मिलर/एफसीआई डिपो/कच्चे माल के गोदाम द्वारा उत्पन्न ई-वे बिलों का संकेत शामिल है।
 - सी) खुदरा केंद्र पर स्टॉक की प्राप्ति, जिसमें मिलर से खुदरा केंद्रों तक सभी वितरण के लिए मिलर/खुदरा विक्रेता द्वारा उत्पन्न ई-वे बिलों का संकेत शामिल है।
 - डी) भारत ब्राण्ड उत्पादों के स्टॉक के पाक्षिक/दैनिक (संबंधित मंत्रालय द्वारा अपेक्षित) खुदरा बिक्री लेनदेन का कुल योग।
2. ट्रेक एंड ट्रेस सॉफ्टवेयर में स्टॉक के रसद और वितरण के दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और सुरक्षा उपाय होने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सभी लेनदेन के डिजिटल ट्रेल्स भविष्य में किसी भी समय ऑडिट के लिए उपलब्ध होने चाहिए।
3. शाखाएं यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करेंगी कि भारत ब्राण्ड उत्पाद अंतिम लाभार्थियों को केवल निर्धारित एमआरपी पर ही बेचे जाएं।
4. शाखाओं के पास एक दैनिक रिपोर्ट होनी चाहिए जिसमें सभी मिलर्स पर प्राप्तियों/वितरण/स्टॉक और सभी खुदरा दुकानों पर प्राप्तियों/बिक्री/स्टॉक का मिलान हो।
5. शाखाओं, मिलर्स और खुदरा दुकानों को खातों के सत्यापन और मिलान के लिए लेनदेन के दौरान उत्पन्न सभी चालान, रसीदें, बिल और अन्य दस्तावेजों का भौतिक रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए।
6. मिलर्स/वितरक/चैनल पार्टनर्स को उन पर लागू जीएसटी, टीडीएस, ईएसआई, पीएफ आदि जैसे सभी वैधानिक अनुपालन का पालन करना चाहिए और नेफेड को उसका जमा चालान जमा करना चाहिए। पार्टियों द्वारा किसी भी अनुपालन को पूरा न करने के कारण उत्पन्न किसी भी समस्या के लिए नेफेड जिम्मेदार नहीं है।

7. मंत्रालय/नेफेड द्वारा अपेक्षित निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज प्रत्येक मिलर/प्रोसेसर द्वारा ट्रैक-एंड-ट्रेस पोर्टल पर दैनिक आधार पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

I. ऑर्डर की पुष्टि/प्री ऑर्डर पर प्रत्येक मिलर/प्रोसेसर को निम्नलिखित दस्तावेज प्रदान करने होंगे:

ए) दिए गए प्रारूप (अनुलग्नक-1) के अनुसार 100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर विधिवत नोटरीकृत क्षतिपूर्ति बांड।

II. नीचे उल्लिखित अनुसार सुपुर्दगी/वितरण के पश्चात:

ए) सीए प्रमाणित उपयोग प्रमाण पत्र (अनुलग्नक- VII), साथ में:

i. नेफेड/रिटेलर को जारी किए गए जीएसटी बिल/ई-वे बिल वाहन संख्या के साथ। नेफेड/रिटेलर को आपूर्ति की गई कुल मात्रा का विवरण।

ii. मिलर्स/प्रोसेसर द्वारा ली गई कुल मात्रा के लिए वस्तुओं की लॉट-वार लैब रिपोर्ट।

बी) भारत ब्राण्ड उत्पादों की खुदरा बिक्री के लिए एजेंसी/संस्था के लेटर हेड पर भारत ब्राण्ड उत्पादों की खुदरा बिक्री के लिए एजेंसी/संस्था से स्व-घोषणा के रूप में शपथपत्र (अनुलग्नक- VIII)।

सी) एफसीआई डिपो/नेफेड/आरएम गोदाम में लोड किए गए ट्रकों की तस्वीरें (अनुलग्नक- IX), मिलर्स परिसर में ट्रक अनलोडिंग की तस्वीरें, बिक्री और वितरण से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों आदि को सभी मिलर्स/प्रोसेसर द्वारा समय पर मुख्यालय द्वारा तैनात ट्रैक-एंड-ट्रेस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना चाहिए।

डी) बिजली खपत बिल।

ई) उनके वित्तीय विवरण।

III. मिलर/प्रोसेसर को चावल की पैकेजिंग की तारीख से 24 महीने की शेल्फ लाइफ, आटे के लिए कम से कम 45 दिनों की शेल्फ लाइफ और चना दाल, मसूर दाल और मूंग दाल (साबुत और धुली) के लिए 04 महीने की शेल्फ लाइफ के लिए न्यूनतम वारंटी प्रदान करनी होगी।

IV. इसके अलावा, शाखाओं द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज बनाए रखना आवश्यक है:

ए) स्थानीय समाचार पत्र में छपे विज्ञापन की प्रति, समाचार पत्र का नाम और विज्ञापन की तिथि।

बी) बैगों के लॉट की तस्वीरें/चित्र (अनुलग्नक- IX), बैगों के साथ बिक्री बिंदु (मोबाइल वैन सहित), उन ग्राहकों के फोन नंबर जिन्हें भारत ब्राण्ड के उत्पाद बेचे गए थे।

सी) मिलर/प्रोसेसर का एसडी तब तक रोक कर रखा जाएगा जब तक कि मिलर/प्रोसेसर द्वारा पैरा 2 में दी गई कार्रवाई पूरी नहीं कर ली जाती।

एच. गुणवत्ता

1. शाखाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि मिलर्स/प्रोसेसर्स द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले भारत ब्राण्ड के उत्पाद इस एसओपी में निर्दिष्ट गुणवत्ता मानदंडों के अनुसार हैं।
2. मिलर्स/प्रोसेसर्स को संबंधित एफसीआई/नेफेड/आरएम गोदामों में भारत ब्राण्ड के उत्पादों के निर्धारित स्टॉक का अपने खर्च पर पूर्व निरीक्षण करना चाहिए। किसी भी स्थिति में, मिलर/प्रोसेसर से स्टॉक में बदलाव के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। आपूर्ति आदेश दिए जाने के बाद, यदि मिलर/प्रोसेसर कच्चे माल की गुणवत्ता के बारे में शिकायत करता है और इस कारण आपूर्ति में देरी करता है, तो नेफेड मिलर/प्रोसेसर के जोखिम और लागत पर ऑर्डर रद्द कर सकता है और नया ऑर्डर दे सकता है, जिसे मिलर/प्रोसेसर के एसडी से समायोजित किया जाएगा।
3. नेफेड शाखाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि मिलर्स/प्रोसेसर्स द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले भारत ब्राण्ड के उत्पाद एसओपी/ईओआई में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार हैं। नेफेड शाखाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि भारत ब्राण्ड उत्पादों को मिलर/प्रोसेसर के परिसर से भेजने से पहले मिलर्स/प्रोसेसर द्वारा उद्योग मानदंडों के अनुसार बैचवार गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
4. शाखाएं पारदर्शी तरीके से मान्यता प्राप्त एजेंसियों की नियुक्ति करेंगी, ताकि तैयार माल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए कुल स्टॉक का कम से कम 5 प्रतिशत नमूना लिया जाएगा और उद्योग मानदंडों के अनुसार एफएसएसएआई/एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा इसका परीक्षण कराया जाएगा। किसी भी नमूने और परीक्षण का खर्च मिलर्स को उठाना होगा। शाखाएं मिलर्स/प्रोसेसर के आसपास एनएबीएल/एफएसएसएआई मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला की नियुक्ति करेंगी। एकत्र किए गए बैचवार नमूनों को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, एक को परीक्षण नमूने के रूप में शाखा (डिस्पैचिंग) के पास रखा जाएगा जबकि दूसरे नमूने को परीक्षण के लिए अनुमोदित प्रयोगशालाओं में भेजा जाएगा।
5. नेफेड सेवा प्रदाता को प्रेषण से पहले मिलर/प्रोसेसर परिसर से नमूनों के संग्रह का काम सौंपा जाएगा। सेवा प्रदाता की यह जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि भेजा गया लॉट गुणवत्ता विनिर्देश के अनुरूप हो, एक नमूना शाखा को भेजे तथा दूसरा राज्य प्रमुख द्वारा बताई गई प्रयोगशाला को भेजे। परीक्षण के लिए नमूनों के प्रत्येक लॉट को भेजने से पहले, सेवा प्रदाता को प्रयोगशाला का नाम पता करने के लिए शाखा से परामर्श करना चाहिए।
6. प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट सीधे शाखा को भेजेगी तथा उसकी प्रतिलिपि मिलर्स/प्रोसेसर्स को भेजेगी। नीलामी दस्तावेज आपूर्ति आदेश के अनुसार शाखा द्वारा कार्रवाई की जाएगी। चूंकि, भारत ब्राण्ड के उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेचे जाएंगे, इसलिए गुणवत्ता संबंधी कोई भी शिकायत बिक्री को प्रभावित करेगी तथा नेफेड की ब्राण्ड छवि को धूमिल करेगी।
7. इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा अनिवार्य किसी भी तृतीय पक्ष गुणवत्ता ऑडिट का मिलर्स/प्रोसेसर्स द्वारा पालन किया जाना चाहिए, जिसके लिए मुख्यालय द्वारा अलग से एसओपी जारी किए जाएंगे।

आई. विधिक उद्घोषणा और वचनबद्धताएं (अनुलग्नक X देखें):

1. सभी मिलर्स/प्रोसेसर्स के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपनी इकाई(ओं) के लेटर हेड पर निम्नलिखित घोषणाएं प्रस्तुत करें
 - ए) इच्छुक मिलर्स/प्रोसेसर्स नेफेड के साथ किसी भी समय नेफेड के किसी भी व्यवसाय और व्यापार गतिविधि के संबंध में न तो मुकदमेबाजी में हैं/थे/नहीं थे और न ही उन्हें ऐसे मुकदमेबाजी(ओं) या अन्यथा के कारण नेफेड द्वारा कभी काली सूची (ब्लैकलिस्टेड) में डाला गया/रखा गया था।
 - बी) मिलर्स/प्रोसेसर्स के वर्तमान और पिछले निदेशकों/मालिक/भागीदारों/प्रमोटर्स आदि में से कोई भी ऐसी अन्य और अलग इकाई(ओं) का हिस्सा नहीं था/था या नहीं है/हैं जो वर्तमान या अतीत में नेफेड के साथ मुकदमेबाजी में थी/थी/हैं या/और ऐसी अन्य इकाई(ओं) को किसी भी कारण से नेफेड द्वारा अतीत में कभी काली सूची (ब्लैकलिस्टेड) में डाला गया है/रखा गया है।
 - सी) इच्छुक मिलर्स/प्रोसेसर्स को किसी भी आपराधिक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और वे स्वीकार करते हैं कि वे अपने द्वारा दी गई किसी भी गलत जानकारी के लिए उत्तरदायी होंगे।
2. यदि मिलर्स/प्रोसेसर्स वर्तमान/अतीत में नेफेड के साथ मुकदमेबाजी में हैं/थे, तो ऐसे बोलीदाताओं/आवेदकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे ऐसे मुकदमों और परिणामी ब्लैकलिस्टिंग, यदि कोई हो, का विवरण इकाई के लेटर हेड पर प्रस्तुत करें। ऐसे परिदृश्य में, ऊपर (i, ii और iii) में अनिवार्य रूप से घोषणा की आवश्यकता नहीं होगी।
3. यदि कोई मिलर्स/प्रोसेसर्स या उनके प्रमोटर नेफेड के साथ मुकदमेबाजी में शामिल पाए जाते हैं, चाहे अतीत में या वर्तमान में या उन्हें नेफेड द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है/था या/और मिलर्स/प्रोसेसर्स के प्रमोटर्स में से कोई भी ऐसी अन्य और अलग इकाई के प्रबंधन का हिस्सा था/थे, जो वर्तमान में या अतीत में नेफेड के साथ मुकदमेबाजी में थी/थी/है या/और ऐसी अन्य इकाई को किसी भी कारण से अतीत में नेफेड द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया था/था, तो नेफेड के पास ऐसे आवेदक/बोलीदाता के चयन पर निर्णय लेने का एकमात्र विवेक होगा, भले ही ऐसे मिलर्स/प्रोसेसर्स पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों और नेफेड का ऐसे मिलर्स/प्रोसेसर्स को चुनने या अस्वीकार करने का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस संबंध में ऐसे निर्णय के खिलाफ कोई और संचार/शिकायत नहीं ली जाएगी।

जे. डिलीवरी

1. मिलर्स मिलिंग अनुबंध की शर्तों और नियमों के अनुसार 1/5/10 किलोग्राम के पैक आकार में मिल्ल्ड/प्रसंस्कृत दालों/गेहूं/चावल की आपूर्ति डिलीवरी पॉइंट/पॉइंट तक करने के लिए जिम्मेदार होंगे, मिलर्स आवश्यक गुणवत्ता और मात्रा के लिए चैनल पार्टनर्स से स्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।
2. मिलिंग स्थान से डिस्पैच - मिलर पोर्टल (ट्रैक एंड ट्रेस) पर ट्रक-वार विवरण प्रदान करेगा, जिसमें कमोडिटी, डिलीवरी स्थान, मात्रा, डिलीवरी चालान सहित सहायक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।

3. शाखाएँ वास्तविक समय के आधार पर ट्रेक की मूवमेंट को अधिकतम संभव सीमा तक ट्रेक करने के लिए तंत्र का उपयोग करेंगी।

के. सामान्य दिशा-निर्देश:

1. शाखाओं को योजना के पहले चरण में अपने खाते बंद करने हैं। इसमें आवंटनों का समाधान, रिलीज ऑर्डर जारी करना, भुगतान रसीदें और उठाए गए स्टॉक शामिल होने चाहिए। यदि कोई स्टॉक नहीं उठाया गया है, तो उसका भुगतान वापस किया जाएगा।
2. सभी शाखाएँ भारत ब्राण्ड उत्पादों के पहले चरण में उन्हें आवंटित सभी मौजूदा स्टॉक को दूसरे चरण को शुरू करने से ठीक पहले समाप्त कर देंगी।
3. भारत चना दाल, चना साबुत और मसूर दाल केवल 1 किलोग्राम के पैक में बेची जाएगी।
4. भारत ब्राण्ड उत्पादों की एमआरपी इस प्रकार है।

ए) पूरे भारत में चना दाल के 1 किलोग्राम पैक के लिए 70/- रुपये निर्धारित किए गए हैं।

बी) चना साबुत के 1 किलोग्राम पैक के लिए, 58/- रुपये निर्धारित किए गए हैं।

ख) मसूर दाल के 1 किलो पैक के लिए, 89 रुपये निर्धारित किए गए हैं।

डी) मूंग धुली के 1 किलो पैक के लिए, 107 रुपये निर्धारित किए गए हैं।

ई) मूंग साबुत के 1 किलो पैक के लिए, 93 रुपये निर्धारित किए गए हैं।

एफ) भारत आटा के 5/10 किलो पैक के लिए, यह 30 रुपये प्रति किग्रा. निर्धारित किया गया है।

जी) भारत चावल के 5/10 किलो पैक के लिए, 34 रुपये प्रति किग्रा. निर्धारित किया गया है।

5. धान की खरीद अवधि के दौरान खरीद क्षेत्रों के साथ-साथ उपभोग क्षेत्रों में भी चावल का अनुबंध/बिक्री की अनुमति दी जाएगी।
6. मिलर्स के पास पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए जो परिचालन में हो। इसे शाखाओं/सेवा प्रदाताओं द्वारा बिजली खपत बिल, जीएसटी, ई-वे बिल और उनके वित्तीय विवरणों का उपयोग करके सत्यापित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मिलिंग को फर्जी मिलर्स द्वारा आउटसोर्स नहीं किया गया है।
7. एफसीआई केवल एजेंसियों द्वारा भुगतान प्राप्त होने पर ही रिलीज ऑर्डर जारी करेगा। क्रेडिट आधार पर कोई रिलीज स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
8. केवल पैनलबद्ध मिलर को ही एफसीआई/कच्चे माल के गोदाम से स्टॉक उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
9. खुदरा बिक्री तंत्र 31 दिसंबर 2024 तक चालू रहेगा।
10. एफसीआई/कच्चे माल के गोदाम और मिलरों/प्रोसेसरों के बीच उठान और प्राप्तियों का पाक्षिक मिलान होना चाहिए।
11. शाखाओं के पास एक रिपोर्ट होनी चाहिए जो सभी मिलरों पर प्राप्तियों/वितरण/स्टॉक और सभी खुदरा बिंदुओं पर प्राप्तियों/बिक्री/स्टॉक का मिलान करती हो।

12. शाखाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस समग्र लेखांकन का मिलान पाक्षिक आधार पर किया जाए।
13. चना दाल और चना साबुत पैक को डीओसीए के जागृति लोगो का उपयोग करके "भारत दाल" या "भारत चना साबुत" के रूप में ब्राण्ड किया जाएगा। प्रत्येक 1 किलोग्राम खुदरा पैक पर एमआरपी चिपकाया जाएगा।
14. भारत ब्राण्ड उत्पाद योजना के तहत आपूर्ति किए जाने वाले भारत ब्राण्ड उत्पाद कम से कम भारत ब्राण्ड उत्पादों के लिए निर्दिष्ट गुणवत्ता मापदंडों के अनुरूप होंगे, जैसा कि संबंधित अनुलग्नक के अनुसार है। उल्लिखित गुणवत्ता विनिर्देश एगमार्क (मानक ग्रेड) / एफएसएसआई विनिर्देशों से लिए गए हैं।
15. मिलर्स के पास अपनी या पट्टे पर कार्यात्मक मिलें हो सकती हैं, मिलिंग, छंटाई, पॉलिशिंग आदि को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता है
16. मिलर को समय-समय पर भरे गए पिछले 6 महीनों के जीएसटी रिटर्न के साथ जीएसटी पंजीकरण, निर्माता के रूप में एफएसएसआई लाइसेंस और स्थानीय अधिकारियों द्वारा कारखाना लाइसेंस प्रस्तुत करना होगा
17. मिलर को भेजे गए सभी सामग्रियों के ई-इनवॉइस और ई-वे बिल प्रस्तुत करने होंगे।
18. अधिकतम ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए, शाखाओं को डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता देनी होगी, जहाँ भी संभव हो संभव है।
19. भारत चना दाल और चना साबुत के लिए, स्टॉक होल्डिंग एजेंसी द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी को डबल्यूएचआर सौंपने की तारीख से 10 दिनों के लिए क्रेडिट सुविधा होगी।
20. शाखाओं को भारत ब्राण्ड उत्पादों की खुदरा बिक्री केवल अपने स्टोर, खुद के/किराए पर लिए गए मोबाइल वैन और ई-कॉमर्स और बड़ी चैन खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से करनी होगी।
21. शाखाओं के पास मोबाइल वैन के सभी विवरण जैसे वाहन संख्या/पंजीकरण संख्या, चालक संपर्क विवरण, संचालन का क्षेत्र (शहर/जिला) आदि होने चाहिए।

ए) इसके अलावा, शाखाओं के पास अपने स्टोर, खुद के मोबाइल वैन और ई-कॉमर्स इकाई और बड़ी चैन खुदरा विक्रेताओं के सभी विवरण होने चाहिए जिनके माध्यम से भारत ब्राण्ड उत्पाद उपभोक्ताओं को बेचे जा रहे हैं।
22. शाखाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत ब्राण्ड उत्पाद तय एमआरपी से ऊपर नहीं बेचे जाएं।
23. शाखाओं को प्रतिदिन मुख्यालय के साथ बेची गई मात्रा, तैनात मोबाइल वैन का विवरण, कवर किए गए शहरों की संख्या, स्टेशनरी आउटलेट/स्टोर की संख्या, भारत ब्राण्ड उत्पादों की बिक्री में लगे बड़े चैन रिटेलर और ई-कॉमर्स संस्थाओं की जानकारी साझा करनी चाहिए।
24. शाखाओं को ऐसी सभी प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ लागू करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवंटित सभी मात्राएँ सबसे पारदर्शी तरीके से अंतिम लाभार्थियों तक पहुँच रही हैं।

25. भारत ब्राण्ड उत्पादों की बिक्री के दौरान निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि शाखाएँ उन क्षेत्रों में राज्य सरकार और जिला अधिकारियों दोनों को सूचित करें जहाँ बिक्री की योजना बनाई गई है। उन्हें सूचित रखने से बेहतर निगरानी की अनुमति मिलती है, और स्थानीय नियमों का पालन सुनिश्चित होता है। इसके अतिरिक्त, यह जमीनी स्तर पर परिचालन चुनौतियों के किसी भी संभावित लॉजिस्टिक प्रबंधन में मदद करता है।
26. शाखा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चयनित मिलर्स भारत दाल और साबुत चना बनाने के लिए विशेष रूप से पीएसएफ कच्चा चना मूंग/मसूर स्टॉक का उपयोग कर रहे हैं। इससे पारदर्शिता बनाए रखने और आवंटित स्टॉक के उचित उपयोग में मदद मिलेगी।
27. शाखाएँ अपने राज्यों में संबंधित हितधारकों के पास पहुंचने और विभिन्न चैनल भागीदारों के माध्यम से मांग उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होंगी।
28. कच्चे माल की आपूर्ति 100% अग्रिम भुगतान के विरुद्ध और डीओसीओ से आवंटन अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही की जाएगी। यह निर्गमन/मानचित्रण दालों के अनुभाग, मुख्यालय द्वारा कच्चे माल रखने वाली शाखाओं के राज्य प्रमुखों की संस्तुतियों/सुझावों पर एफआईएफओ का सख्ती से पालन करते हुए किया जाएगा।
29. लाभार्थी संगठनों के पक्ष में डीओसीए के अनुमोदन के अनुसार डिलीवरी ऑर्डर जारी होने के बाद नेफेड की जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी और लाभार्थी संगठन अपनी निविदा शर्तों के अनुसार मिल्ड चना दाल के वितरण से पहले इसका उठाव सुनिश्चित करेंगे। आवंटित दालों की उठाव अवधि खुले बाजार की बिक्री की वर्तमान उठाव अवधि की शर्त द्वारा शासित होगी। यदि उठाव अवधि के भीतर स्टॉक नहीं उठाया जाता है, तो शाखाएं इसकी सूचना देंगी, जिसे मामले में उचित दृष्टिकोण अपनाने के लिए डीओसीए को सूचित किया जाएगा।
30. नेफेड की शाखाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि मिलर्स द्वारा आपूर्ति किए गए भारत ब्राण्ड उत्पाद एसओपी में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार हैं। शाखाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि मिलर्स के परिसर से भारत ब्राण्ड उत्पादों के प्रेषण से पहले मिलर्स द्वारा बैचवार गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
31. मिल मालिकों को अपने खर्च पर संबंधित गोदामों में कच्चे माल के निर्धारित स्टॉक का पूर्व निरीक्षण करना चाहिए।
32. स्टॉक मैपिंग - मांग के लिए स्टॉक मैपिंग पीएसएफ बफर/या डीएफपीडी से डीओसीए द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के आधार पर की जाएगी।
 - क) सबसे किफायती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, जहां तक संभव हो, डिलीवरी स्थानों से कम से कम दूरी पर स्थित स्टॉक को मिलिंग और आपूर्ति के लिए मैप किया जाएगा।
 - ख) नेफेड सबसे किफायती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, जहां तक संभव हो, डिलीवरी स्थानों से कम से कम दूरी पर स्थित स्टॉक को मिलिंग और आपूर्ति के लिए मैप किया जाएगा।
 - ग) नेफेड निकटतम उपलब्ध गोदाम से फीफो सिद्धांत पर पीएसएफ के स्टॉक को मैप करेगा।
33. नेफेड भारत ब्राण्ड उत्पादों के लिए एक मानक मिलिंग अनुबंध तैयार करेगा।
34. उन दस्तावेजों का भौतिक रिकॉर्ड बनाए रखा जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध नहीं हैं और जो आवश्यकता होने पर भौतिक रूप में रूपांतरित नहीं किए जा सकते हैं।

35. शाखाएँ यह सुनिश्चित करेंगी कि मिल मालिक का ई-केवाईसी किया जाए।

कृपया ध्यान दें:

1. शाखा योजना के सुचारू और तेज़ क्रियान्वयन तथा इसके अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार है है।
2. यदि प्रक्रिया में सुधार के लिए या समय-समय पर सरकारी निर्देशों के अनुसार किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसे यथासमय सूचित किया जाएगा।

अनुलग्नक-1

क्षतिपूर्ति बांड

(100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाना है)

मैं/हम....., आयु लगभग.....वर्ष, भारतीय निवासी, फर्म/कंपनी मेसर्स..... का मालिक/स्वामी, भागीदार, निदेशक, अधिकृत हस्ताक्षरी, जिसका अपना पता/कार्यालय..... है, एतद्वारा निम्नलिखित पते पर शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:

- (1) मैं/हमपर व्यापार करने के लिए पैन कार्ड संख्या....., जीएसटी सं....., एफएसएसआई सं....., धारक हूँ।
- (2) कि मैंने उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग/उपभोक्ता मामले विभाग की योजना/दिशानिर्देशों को पढ़ लिया है और समझ लिया है, जो खुदरा उपभोक्ताओं/जनता को खुले बाजार बिक्री योजना (घरेलू) (ओएमएसएस (डी)) के तहत बिक्री के लिए चावल/आटा/चना दाल जारी करने और प्रसंस्करण के संबंध में है।
- (3) कि मैं/हम नियमित रूप से संबंधित मंत्रालय और नेफेड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाऊँगा और इस विषय पर योजना/दिशानिर्देशों के हालिया निर्देशों से खुद को अपडेट रखूँगा।
- (4) कि मैं/हम समय-समय पर संशोधित उक्त योजना/दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन करना जारी रखूँगा।
- (5) कि मैं/हम वचन देता हूँ कि एफसीआई/आरएम गोदामों से नेफेड के माध्यम से 25 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर खरीदे गए चावल/आटा/चना दाल/चना साबुत/मसूर दाल/मूंग धुली मूंग साबुत का भुगतान मैं/हम स्वयं करूँगा/करेंगे। 23.60/- प्रति किलोग्राम (पैन इंडिया)/रु. 22.25/- प्रति किलोग्राम (पैन इंडिया)/रु. 41.40/- प्रति किलोग्राम (पैन इंडिया)/रु. 41.40/- प्रति किलोग्राम (पैन इंडिया), रु. 56.10/- प्रति किलोग्राम (पैन इंडिया), रु. 64.10/- प्रति किलोग्राम (पैन इंडिया), रु. 64.10/- प्रति किलोग्राम (पैन इंडिया) लागू करें और शुल्कों (यदि कोई हो) के साथ, भारत सरकार के ओएमएसएस (डी) के तहत केवल भारत चावल/भारत आटा/भारत दाल (चना दाल) में रूपांतरण के इच्छित उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा। भारत दाल (मूंग साबुत)/भारत दाल (मूंग धुली)। उक्त चावल/आटा/चना दाल/चना साबुत/मसूर दाल/मूंग धुली/मूंग साबुत का उपयोग केवल घरेलू बिक्री के लिए जनता को अधिकतम खुदरा मूल्य पर किया जाएगा, जो 34.00/- रुपये प्रति किलोग्राम/30.00/- रुपये प्रति किलोग्राम/70.00/- रुपये प्रति किलोग्राम/58.00/- रुपये प्रति किलोग्राम/89/- रुपये प्रति किलोग्राम/107/- रुपये प्रति किलोग्राम, 93/- रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं होगा, जिसमें योजना के अनुसार सभी कर और शुल्क शामिल हैं।
- (6) मैं/हम एफसीआई/कच्चे माल के गोदाम से स्टॉक उठाने से पहले चावल/आटा/चना दाल की खरीद के लिए नेफेड को अग्रिम भुगतान करने का वचन देता/देते हैं।
- (7) यह कि मैं/हम भारत चावल/भारत आटा/भारत दाल (चना दाल)/भारत दाल (चना साबुत) भारत मसूर दाल/भारत दाल (मूंग धुली)/भारत दाल (मूंग साबुत) की आपूर्ति के लिए नेफेड द्वारा जारी ईओआई में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों तथा इस संबंध में नेफेड द्वारा समय-समय पर सूचित अन्य नियमों और शर्तों का पालन करने का वचन देते हैं।

- (8) मैं/हम वचन देते हैं कि भारत चावल/भारत आटा/भारत दाल (चना दाल)/भारत दाल (चना साबुत) भारत मसूर दाल/भारत दाल (मूंग धुली)/भारत दाल (मूंग साबुत) की आपूर्ति गुणवत्ता, मानकों और वैधानिक मानदंडों के अनुरूप/अनुपालन के अधीन होगी, जिसमें कानूनी माप विज्ञान आवश्यकताओं आदि का पालन शामिल है। वैधानिक कानूनी नियमों का पालन न करने पर हम ऐसे नियमों में निर्धारित उचित कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे। चावल/आटा/दाल की आपूर्ति एफसीआई/नेफेड/आरएम गोदाम से चावल/आटा/दाल उठाने की तारीख से पांच दिनों के भीतर की जाएगी।
- (9) मैं/हम वचन देते हैं कि एफसीआई/नेफेड/आरएम गोदाम से उठाया गया आवंटित चावल/आटा/चना दाल किसी भी परिस्थिति में अन्यत्र नहीं भेजा जाएगा और एफसीआई/नेफेड/आरएम गोदामों से उठाया गया चावल/आटा/चना दाल का पूरा स्टॉक किसी भी प्रकार की मिलावट के बिना भारत चावल/भारत आटा/भारत दाल (चना दाल भारत दाल (चना साबुत)/भारत मसूर दाल/भारत दाल (मूंग धुली)/भारत दाल (मूंग साबुत) में परिवर्तित कर दिया जाएगा और खुदरा दुकानों/उपभोक्ताओं को आगे वितरण के लिए क्रमशः रु. 34.00/किग्रा/रु.30.00/किग्रा/रु.70.00/किग्रा/58.00/किग्रा/रु.89.00/किग्रा/ रु.107.00/किग्रा/ रु.93.00/किग्रा से अधिक नहीं एमआरपी पर आपूर्ति की जाएगी।
- (10) हम एतद्वारा सहमत हैं और वचन देते हैं कि मेरी/हमारी फर्म किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी और सरकारी उपक्रम आदि द्वारा पदावनत, निलंबन, काली सूची में डालना, पंजीकरण रद्द करना आदि जैसी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।
- (11) मैं/हम जानते हैं और स्वीकार करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के गलत और/या गलत पाए जाने की स्थिति में मैं/हम सिविल और आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी होंगे और नियमों के तहत उचित समझी जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई के अलावा मेरे/हमारे द्वारा भुगतान की गई प्रतिभूति राशि जब्त हो जाएगी।
- (12) मैं/हम कहते हैं और वचन देते हैं कि यह वचन मुझ/हम, मेरे/हमारे/इसके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों/भागीदारों/निदेशकों पर बाध्यकारी है जो समय-समय पर कंपनी फर्म द्वारा किए गए कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं।

सत्यापन

मैं/हम.....गंभीरता से प्रतिज्ञा करते हैं कि ऊपर जो कुछ भी कहा गया है वह मेरे/हमारे अपने ज्ञान के अनुसार सत्य है और मैं/हम इसे सत्य और सही मानते हैं।

नोटरी
अभिसाक्षी

नोटरी पंजीकरण संख्या
फोटोग्राफ

कंपनी के तौर पर आवेदक, इसलिए कंपनी द्वारा पारित संकल्प की प्रति प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए निदेशकों में से एक को अधिकृत किया गया हो।

अनुलग्नक-II

भारत दाल (चना दाल) के गुणवत्ता मापदंड

चना (बंगाल ग्राम) विभाजित (बिना भूसी के) या चना दाल का ग्रेड पदनाम और गुणवत्ता

1. चना दाल सोर्टेक्स गुणवत्ता की होनी चाहिए।
2. चना विभाजित (बिना भूसी के) चना सिसर एरियेटिनम लिन के सूखे और परिपक्व दानों से प्राप्त किया जाएगा।
3. न्यूनतम आवश्यकताएँ:
 - 3.1. चना विभाजित (बिना भूसी के) होना चाहिए-
 - 3.1.1. मीठा, साफ, पौष्टिक और अस्वास्थ्यकर पदार्थों के मिश्रण से मुक्त;
 - 3.1.2. भूसी रहित, विभाजित, आकार, आकृति और रंग में एक समान,
 - 3.1.3. कृतक बाल और मलमूत्र, फफूंद, जीवित और मृत कीड़े, कीट के टुकड़े, हानिकारक बैक्टीरिया, फफूंद संक्रमण, फफूंद वृद्धि, जाल, परजीवी, लार्वा और घुन से मुक्त;
 - 3.1.4. इस अनुसूची में दर्शाई गई सीमा को छोड़कर अप्रिय गंध, रंग परिवर्तन और अन्य सभी अशुद्धियों से मुक्त;
 - 3.1.5. अतिरिक्त रंग पदार्थ, हानिकारक पदार्थों के मिश्रण से मुक्त;
 - 3.1.6. जहरीले या हानिकारक बीजों जैसे क्रोटालारिया (क्रोटालारिया एसपीपीएस), कॉम कॉकल (एग्रोस्टेमा गिथागो लिन.), कैस्टर बीन (रिकिनस कम्युनिस लिन.), जिमसन वीड (धतूरा स्ट्रैमोनियम) और अन्य बीजों से मुक्त जिन्हें आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है; और
 - 3.1.7. असामान्य स्वाद, सुगंध और गंध से मुक्त।
 - 3.2. यह खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियमन, 2011 और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के तहत बनाए गए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियमन, 2011 के तहत निर्दिष्ट धातु संदूषकों, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थों, कीटनाशकों और कीटनाशकों के अवशेषों, सूक्ष्मजीव आवश्यकताओं और अन्य खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए सीमाओं के संबंध में प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा।
 - 3.3. यह कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग या आयातक देशों द्वारा निर्यात के लिए निर्धारित भारी धातुओं, कीटनाशकों और अन्य खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं की अवशिष्ट सीमाओं का अनुपालन करेगा।
4. ग्रेड पदनाम के लिए मानदंड- चना (बंगाल ग्राम) विभाजित (बिना भूसी के) या चना दाल के लिए ग्रेड पदनाम के मानदंड निम्नानुसार होंगे-

सहनशीलता की अधिकतम सीमा (वजन के अनुसार प्रतिशत)						घुने हुए अनाज (गिनती के अनुसार प्रतिशत) (अधिकतम)
नमी	बाह्य पदार्थ		अन्य खाद्य अनाज	क्षतिग्रस्त अनाज	टूटे और खंडित अनाज	
	जैविक	अजैवी				
1	2	3	4	5	6	7
12.00	0.10	0.15	0.50	1.00	2.00	2.00

टिप्पणी:- विदेशी पदार्थ में पशु मूल की अशुद्धियाँ भार के अनुसार 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि विदेशी पदार्थ, अन्य खाद्य अनाज और क्षतिग्रस्त अनाज का कुल योग भार के अनुसार सात प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

अनुलग्नक-III

भारत चावल के लिए गुणवत्ता मापदण्ड

क्र.सं.	गुणवत्ता मापदण्ड	प्रस्तावित भारत चावल के लिए विनिर्देशन (@ रु. 34/किग्रा)
1	विवरण	भारतीय सफेद चावल 5% टुटा हुआ सिल्की सोर्टेक्स
2	नमी	14% अधिकतम
3	टुटे हुए अनाज	5% (2/3 अधिकतम)
4	क्षतिग्रस्त अनाज	2%
5	रंगहीन दाने	
6	बाह्य वस्तुएं	शून्य
7	अनाज की औसत लंबाई (एजीएल)	5.7 एमएम
8	लाल अनाज	0.50%
9	चाकी	6% (आधार अनाज आधारित)
10	मिलिंग	अच्छी तरह से पिसा हुआ, धूल और बाह्य गंध से रहित

अनुलग्नक-IV

भारत आटे के लिए गुणवत्ता मानदंड

1. शाखाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि मिलर्स द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला हॉल गेहूं आटा एफएसएसएआई मानदंडों के अनुसार हो।

अनुलग्नक-V

भारत दाल (मसूर दाल) के लिए गुणवत्ता मापदंड

1. आपूर्ति की गई मसूर दाल मसूर दाल के एगमार्क (मानक ग्रेड) विनिर्देशों की पुष्टि करेगी।
2. शाखाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि मिलर्स द्वारा आपूर्ति की गई मसूर दाल एगमार्क (मानक ग्रेड) विनिर्देशों के अनुसार है।
3. शाखाएँ कुल स्टॉक के कम से कम 5 प्रतिशत का नमूना सुनिश्चित करके तैयार माल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों को सुनिश्चित करने के लिए एक सूचीबद्ध सर्वेक्षक नियुक्त कर सकती हैं और उद्योग मानदंडों के अनुसार एफएसएसएआई/एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा इसका परीक्षण करवा सकती हैं। किसी भी नमूने और परीक्षण के लिए खर्च मिलर्स द्वारा वहन किया जाएगा।
4. मिलर को यह सुनिश्चित करना होगा कि मिलर द्वारा आपूर्ति की गई मसूर दाल एगमार्क (मानक ग्रेड) विनिर्देश के अनुसार है।

ग्रेड पदनाम	सहनशीलता की अधिकतम सीमा (वजन के अनुसार प्रतिशत)					घुने हुए अनाज (गणना के अनुसार प्रतिशत) (अधिकतम)	
	नमी	बाह्य पदार्थ		अन्य खाद्य अनाज	क्षतिग्रस्त अनाज		टूटे और खंडित अनाज
		जैविक	अजैवी				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मानक	12.0	0.20	0.10	0.5	0.50	0.50	1.0

अनुलग्नक-VI

मूंग साबुत (हरा चना) के लिए गुणवत्ता मापदंड

1. मूंग साबुत (हरा चना) मूंग साबुत (हरा चना) का ग्रेड पदनाम और गुणवत्ता विग्नाराडियाटा लिन विल्जेक दाल के सूखे और परिपक्व बीज होंगे।
2. न्यूनतम आवश्यकताएँ:
 - i. मूंग साबुत होगा -
 - क) मीठा, स्वस्थ, स्वच्छ, पौष्टिक और अस्वास्थ्यकर पदार्थों के मिश्रण से मुक्त होगा,
 - ख) आकार, आकृति और रंग में एक समान होगा,
 - ग) कृतक वायु और मलमूत्र, फफूंद, जीवित और मृत कीटों, कीटों के टुकड़े, हानिकारक बैक्टीरिया, फफूंद संक्रमण, फफूंद वृद्धि, जाले, परजीवी, लार्वा और मील से मुक्त होगा,
 - घ) अप्रिय गंध, मलिनकिरण और इस अनुसूची में बताए गए सीमा तक को छोड़कर अन्य सभी अशुद्धियों से मुक्त होगा;
 - ङ) रंगहीन पदार्थ, हानिकारक पदार्थों के मिश्रण से मुक्त होगा;
 - च) क्रोटालारिया (क्रोटालारिया एसपीपीएस), कॉर्न कॉकल (एग्रोस्टेमा गिथागो लिन.), कैस्टर बीन (रिकिनस कम्युनिस लिन.), जिमसन वीड (डटुरा स्ट्रैमोनियम) और अन्य बीज जैसे विषैले या हानिकारक बीजों से मुक्त, जिन्हें आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, और
 - झ) असामान्य स्वाद, सुगंध और गंध से मुक्त।
 - ii. यह खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रदूषक, विष और अवशेष) विनियमन, 2011 और खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियमन, 2011 के तहत घरेलू व्यापार के लिए निर्दिष्ट धातु संदूषकों, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषैले पदार्थों, कीटनाशकों और कीटनाशकों के अवशेषों, सूक्ष्मजीव आवश्यकताओं और अन्य खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए सीमाओं के संबंध में प्रतिबंधों का अनुपालन करेगा।
 - iii. यह कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमिशन या आयातक देशों द्वारा निर्यात के लिए निर्धारित भारी धातुओं, कीटनाशकों और अन्य खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं की अवशिष्ट सीमाओं का अनुपालन करेगा।

ग्रेड पदनाम के लिए मानदंड: मूंग साबुत (हरा चना) के लिए ग्रेड पदनाम के मानदंड निम्नानुसार होंगे-

ग्रेड पदनाम	सहनशीलता की अधिकतम सीमा (वजन के अनुसार प्रतिशत)					घुने हुए अनाज (गणना के अनुसार प्रतिशत) (अधिकतम)
	नमी	बाह्य पदार्थ		अन्य खाद्य अनाज	क्षतिग्रस्त अनाज	
		जैविक	अजैवी			
1	2	3	4	5	6	7
मानक	12	0.30	0.10	0.5	2.0	3.0

टिप्पणी: बाह्य पदार्थ में पशु मूल की अशुद्धियाँ वजन के अनुसार 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि बाह्य पदार्थ, अन्य खाद्य अनाज और क्षतिग्रस्त अनाज का कुल वजन के अनुसार नौ प्रतिशत से अधिक न हो।

मूंग धुली (हरा चना) खंडित (बिना भूसी के) का ग्रेड पदनाम और गुणवत्ता

1. मूंग खंडित (बिना भूसी) विग्रा रेडिएटा लिन विल्जेक की सूखी विभाजित बीज दाल होगी
2. न्यूनतम आवश्यकताएँ
 - i. मूंग खंडित (स्प्लिट) (बिना भूसी के) होगी-
 - क) मीठा, स्वस्थ, स्वच्छ, पौष्टिक और अस्वास्थ्यकर पदार्थों के मिश्रण से मुक्त,
 - ख) बिना भूसी, विभाजित, आकार, आकृति और रंग में एक समान,
 - ग) कृतक बाल और मलमूत्र, फफूंद, जीवित और मृत कीड़े, कीट के टुकड़े, हानिकारक बैक्टीरिया, फफूंद संक्रमण, फफूंद वृद्धि, जाले, परजीवी, लार्वा और घुन से मुक्त;
 - घ) अप्रिय गंध, रंगहीनता और इस अनुसूची में बताए गए सीमा तक को छोड़कर अन्य सभी अशुद्धियों से मुक्त,
 - ङ) अतिरिक्त रंग पदार्थ, हानिकारक पदार्थों के मिश्रण से मुक्त;
 - ii. क्रोटालाना (क्रोटालारिया एसपीपीएस), कॉर्न कॉकल (एग्रोस्टेमा गिथागो लिन), कैस्टर बीन (रिकिनस कम्युनिस लिन), जिमसन वीड (डटुरा स्ट्रैमोनियम) और अन्य बीज जैसे विषैले या हानिकारक बीजों से मुक्त, जिन्हें आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, और असामान्य स्वाद, सुगंध और गंध से मुक्त, जी यह धातु संदूषकों, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषैले पदार्थों, कीटनाशकों और कीटनाशकों के अवशेषों, माइक्रोबियल रिक्विनामेंट और अन्य खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए सीमाओं के संबंध में प्रतिबंधों का अनुपालन करेगा, जैसा कि खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियमन, 2011 और खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियमन, 2011 के तहत घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के तहत बनाया गया है। यह कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग या आयातक देशों की निर्यात संबंधी आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित भारी धातुओं, कीटनाशकों और अन्य खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं की अवशिष्ट सीमाओं का अनुपालन करेगा।
3. ग्रेड पदनाम के लिए मानदंड- ग्रेड पदनाम (हरा चना) विभाजित (बिना भूसी के) के लिए मानदंड निम्नानुसार होंगे:

ग्रेड पदनाम	सहनशीलता की अधिकतम सीमा (वजन के अनुसार प्रतिशत)						घुने हुए अनाज (गणना के अनुसार प्रतिशत) (अधिकतम)
	नमी	बाह्य पदार्थ		अन्य खाद्य अनाज	क्षतिग्रस्त अनाज	टूटे और खंडित अनाज	
		जैविक	अजैवी				
1	2	3	4	5	6	7	8
मानक	12	0.3	0.1	0.5	1	1	1

टिप्पणी: बाह्य पदार्थ में, पशु मूल की अशुद्धियाँ वजन के अनुसार 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि बाह्य पदार्थ, अन्य खाद्य अनाज और क्षतिग्रस्त अनाज का कुल वजन के अनुसार आठ प्रतिशत से अधिक न हो।

अनुलग्नक-VII

(चार्टर्ड अकाउंटेंट के लेटर हेड पर)

उपयोगिता प्रमाण पत्र

जिस किसी से भी यह संबंधित हो

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स _____
(फैक्ट्री का पता: _____) ने _____ मीट्रिक टन
चावल/आटा/चना दाल/चना साबुत/मसूर दाल/मूंग दाल (धुली) और मूंग दाल (साबुत) का उपयोग किया है, जिसे
नेफेड द्वारा आवंटित किया गया था और नीलामी (ऑक्शन) शर्तें (नीलामी (आक्शन)
आईडी _____ दिनांक _____) के अनुसार _____ मीट्रिक टन चावल/आटा/चना दाल/चना
साबुत/मसूर दाल मूंग दाल (धुली) और मूंग दाल (साबुत) में संसाधित किया गया था, जिसे नेफेड के निर्देशों के
अनुसार नेफेड/खुदरा विक्रेता को संलग्न बिक्री चालान, बैच-वार प्रयोगशाला रिपोर्ट के अनुसार आपूर्ति किया गया
है।

नेफेड/खुदरा विक्रेता को आपूर्ति की गई कुल मात्रा का विवरण:

क्रमांक	खुदरा विक्रेता का नाम	वस्तु	आपूर्ति की गई मात्रा (मीट्रिक टन में)	बिक्री चालान संख्या और तिथि

(चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम,
हस्ताक्षर और मुहर)

संलग्न: उपरोक्तानुसार

तिथि:

स्थान:

अनुलग्नक VIII

शपथपत्र

दिनांक: XX/XX/XXXX

एजेंसी/संस्था के लेटर हेड पर

खुदरा बिक्री के लिए एजेंसी/संस्था से स्व-घोषणा

जिस किसी से भी यह संबंधित हो

मैं, <अधिकृत हस्ताक्षरी का नाम>, <अधिकृत हस्ताक्षरी का पदनाम>, <एजेंसी/संस्था का नाम> की ओर से, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि

नेफेड से खरीदे गए भारत चावल का उपयोग एमआरपी, जो 34 रुपये प्रति किग्रा से अधिक नहीं है, पर अंतिम उपभोक्ताओं को भारत चावल की आगामी बिक्री के लिए किया गया है।

अथवा

नेफेड से खरीदे गए भारत आटे का उपयोग एमआरपी, जो 30 रुपये प्रति किग्रा से अधिक नहीं है, पर अंतिम उपभोक्ताओं को भारत आटा की आगामी बिक्री के लिए किया गया है।

अथवा

नेफेड से खरीदी गई भारत चना दाल का उपयोग एमआरपी, जो 70 रुपये प्रति किग्रा से अधिक नहीं है, पर अंतिम उपभोक्ताओं को भारत दाल (चना दाल) की आगामी बिक्री के लिए किया गया है।

अथवा

नेफेड से खरीदे गए भारत चना साबुत का उपयोग एमआरपी, जो 58 रुपये प्रति किग्रा से अधिक नहीं है, पर अंतिम उपभोक्ताओं को भारत चना साबुत की आगामी बिक्री के लिए किया गया है।

अथवा

नेफेड से खरीदी गई भारत मसूर दाल का उपयोग एमआरपी, जो 89 रुपये प्रति किग्रा से अधिक नहीं है, पर अंतिम उपभोक्ताओं को भारत मसूर दाल की आगामी बिक्री के लिए किया गया है।

अथवा

नेफेड से खरीदी गई मूंग दाल का उपयोग एमआरपी, जो 107 रुपये प्रति किग्रा से अधिक नहीं है, पर अंतिम उपभोक्ताओं को भारत दाल (मूंग धुली) की आगामी बिक्री के लिए किया गया है।

अथवा

नेफेड से खरीदी गई मूंग दाल का उपयोग एमआरपी, जो 93 रुपये प्रति किग्रा से अधिक नहीं है, पर अंतिम उपभोक्ताओं को भारत दाल (मूंग साबुत) की आगामी बिक्री के लिए किया गया है।

कृते <एजेंसी/संस्था का नाम >

अधिकृत हस्ताक्षरी (हस्ताक्षर और मुहर)

अनुलग्नक-IX

- लोड किए गए ट्रकों की तस्वीरें,
- सुपुर्दगी बिंदु (डिलीवरी पॉइंट) पर ट्रक उतारने की तस्वीरें,
- बैनर और पोस्टर की तस्वीरें
- कम से कम 10 तस्वीरें/फोटो, जिनमें से प्रत्येक में बैगों का ढेर, बैगों के साथ बिक्री बिंदु, बैगों के साथ ग्राहक, मोबाइल वैन (यदि कोई हो) शामिल हों।

अनुलग्नक X

शपथपत्र

दिनांक: XX/XX/XXXX

एजेंसी/संस्था के लेटर हेड पर

स्व-घोषणा

जिस किसी से भी संबंधित हो

मैं, <अधिकृत हस्ताक्षरी का नाम>, <अधिकृत हस्ताक्षरी का पदनाम>, <एजेंसी/संस्था का नाम> की ओर से, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि

- ए. हम कभी भी नेफेड के साथ नेफेड के किसी भी व्यवसाय और व्यापार गतिविधि के संबंध में मुकदमेबाजी में नहीं रहे हैं और न ही हमें ऐसे मुकदमेबाजी के कारण या अन्यथा नेफेड द्वारा कभी काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में डाला गया था।
- बी. हम या हमारे पिछले निदेशक/भागीदार/प्रमोटर आदि ऐसी अन्य और अलग इकाई(यों) का हिस्सा नहीं थे/नहीं हैं जो वर्तमान या अतीत में नेफेड के साथ मुकदमेबाजी में थी/थी/हैं या/और ऐसी अन्य इकाई(यों) को किसी भी कारण से नेफेड द्वारा अतीत में कभी काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में डाला गया है/रखा गया है।
- सी. हम किसी भी आपराधिक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराए गए हैं और हम स्वीकार करते हैं कि हम अपने द्वारा दी गई किसी भी गलत जानकारी के लिए उत्तरदायी होंगे।

कृते <एजेंसी/संस्था के नाम>

अधिकृत हस्ताक्षरी (हस्ताक्षर और मुहर)

टिप्पणी:- किसी भ्रम/त्रुटि/तकनीकी त्रुटि के मामले में अंग्रेजी विषय मान्य होगा।